


18/12/19

वकील प्रार्थी अप्रार्थी को अप्रार्थीगण की तगवी रकिंडाक ए.डी. तगवाना पेश कले हेतु डि 03/11/17, 7/2/17, 6/9/17, 27/9/17 तथा 16/11/17 को आदेशित किया गया। लेकिन वकील प्रार्थी ने रकिंडाक ए.डी. तगवाना पेश नहीं किये। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तगवी हेतु तगवाना पेश कले हेतु डि 6/4/18 को दिशयत दी गई। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तगवी रकिंडाक ए.डी. तगवाना पेश करने हेतु डि 28/11/19 को न्यायदित में एक अन्तिक अपहर दिया गया। लेकिन वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तगवी हेतु रकिंडाक ए.डी. तगवाना पेश नहीं किये। वकील प्रार्थी को पिछले 3 वर्ष में तगवी हेतु तगवाना पेश कले हेतु अनेक अपहर दिये गये। परन्तु वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तगवी हेतु तगवाना पेश नहीं किये। अतः प्रापत्र अन्तर्गत धारा 09 R05 CPC के तहत प्रापत्र प्रार्थी अदम तकमील (NON-compliance) में रवारिज किया जाता है। पञ्जावणी नम्बर से कल होकर बाद तकमील मुक्तकाड के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।


सहायक कलक्टर,
अहमद (राज०)